फार्मा पार्क के लिए भूमि की रजिस्ट्री पर स्टांप से छूट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के तहत फार्मा व चिकित्सा उपकरण पार्क और नई इकाई लगाने वालों को स्टांप शुल्क में छूट देगी। प्रमुख सचिव स्टांप ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

नई फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए निवेशक को भूमि खरीद पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत खरीददारों द्वारा भूखंड की पहली खरीद पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी नई इकाइयों को इस नीति के अधीन इकाइयां लगाने के लिए भूमि खरीद और भूमि शेड व भवन को पट्टे पर देने पर सौ फीसदी की छूट दी जाएगी।

ईवी प्लांट के लिये एमओयू आज

लखनऊ। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। प्रथम चरण में 1000 करोड़ के निवेश होगा। शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में एमओयू साइन होगा। यह जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नन्दी ने दी।